



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10052024-254158
CG-DL-E-10052024-254158

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127]
No. 127]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 10, 2024/वैशाख 20, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 10, 2024/VAISAKHA 20, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2024

सं. 04/2024-25

विषय: अग्रिम प्राधिकार पत्र धारकों, निर्यातान्मुख इकाइयों (ईओयू) और एसईजेड द्वारा अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के अधीन निविष्टियों के आयात के लिए प्रावधानों को सक्षम बनाने के संबंध में।

फा. सं. 01/89/180/13/एएम-15/पीसी-2 [क]/ई-5910.—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार परिशिष्ट-2म को संशोधित करते हैं (उन मंत्रालयों/विभागों की सूची जिनकी अधिसूचना अनिवार्य क्यूसीओ पर है, जिन्हें निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग/उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के लिए डीजीएफटी द्वारा छूट दी गई है)। अद्यतित परिशिष्ट 2म इसके साथ पुनः प्रस्तुत किया गया है:—

परिशिष्ट-2म

(एफटीपी का पैरा 2.03 (ग) देखें)

मंत्रालयों/विभागों की सूची, जिनकी अधिसूचना अनिवार्य क्यूसीओ पर है, जिन्हें निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग/उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के लिए डीजीएफटी द्वारा छूट दी गई है।

क्रम संख्या	मंत्रालयों/विभागों के नाम
1	इस्पात मंत्रालय
2	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआईटी)
3.	वस्त्र मंत्रालय
4.	खान मंत्रालय

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

दिनांक 11.03.2024 की अधिसूचना संख्या 71/2023 के अनुसरण में, खान मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से एफटीपी, 2023 के परिषिष्ट 2म के तहत मंत्रालयों/विभागों की सूची में जोड़ा गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 10th May, 2024

No. 04 / 2024-25

Subject: Enabling provisions for import of inputs that are subjected to mandatory Quality Control Orders (QCOs) by Advance Authorisation holders, EOU and SEZ - regarding.

F. No.01/89/180/13/AM-15/PC-2[A]/E-5910.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2023, the Director General of Foreign Trade hereby makes amendments in Appendix-2Y (The list of Ministries/Departments whose notifications on mandatory QCOs, that are exempted by the DGFT for goods to be utilised/consumed in manufacture of export products). The updated Appendix 2Y is reproduced herewith:

Appendix -2Y

(Refer Para 2.03(c) of FTP)

The list of Ministries/Departments whose notifications on mandatory QCOs, that are exempted by the DGFT for goods to be utilised/consumed in manufacture of export products.

Sl.No.	Name of Ministry / Department
1	Ministry of Steel
2	Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)
3	Ministry of Textiles
4	Ministry of Mines

Effect of this Public Notice:

In pursuance of Notification No. 71/2023 dated 11.03.2024, Ministry of Mines have been added in the list of Ministries/Departments under Appendix 2Y of FTP, 2023, with immediate effect.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.